रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2007 (चैत्र 24, 1929)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2007 (CHAITRA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 23 मार्च 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, फरवरी 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

नई दिल्ली सर्कल 10% राहत पत्र 1993

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
डी एच 000432	रु. 40,000/-	किशन सिंह	--	श्रीमती जगदीप साहनी और सुरिन्दरजीत सिंह	पीडीओ/डी.टि./एल.एन, 1/2002 दिनांक 05.02.2007

सूची "ख"

-कुछ नहीं-

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400 021, दिनांक 2 अप्रैल 2007

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 2006-2007 के लाभांश का भुगतान, यदि कोई है, करने के लिए, शुक्रवार 15 जून, 2007 से सोमवार 25 जून, 2007 (इन दोनों दिनों को शामिल करते हुए) तक की अवधि के लिए, शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी,एचएफसी.डीआईआर,18/सी एम डी/2007

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2007

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम इससे संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में और देश की आवास वित्त प्रणाली को अपने हित में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाने संबंधी सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 24(1) (iii) के बाद, एक नया उप-अनुच्छेद (iv) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"(iv) गैर-आवासीय गैर-बैंकिंग आवासीय ऋणों की कुल बकाया राशि का सामान्य प्रावधान 0.4% ऋणों के बारे में मानक जो मानक आस्तियां हैं, नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :

(क) 31 मार्च, 2007 तक 0.1 प्रतिशत

(ख) 30 जून, 2007 तक 0.2 प्रतिशत

(ग) 30 सितम्बर, 2007 तक 0.3 प्रतिशत

(घ) 31 दिसम्बर, 2007 तक 0.4 प्रतिशत

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2007

सं. एन-15/13/1/3/2005-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात् :--

नालगोण्डा ज़िले के कोदाड़ मण्डल में स्थित कोमर बोण्डा, कोदाड़, अनन्तगिरि, लक्मावरम्, गोन्ड्रियाल, टी.बी. पालेम्, खानापुरम्, गुडिबंडा, कापुगल्लु तथा दोरकुण्टा राजस्व गाँव के सीमा के अंतर्गत सभी क्षेत्र।

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/1/3/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात् :--

"आन्ध्र प्रदेश राज्य के ज़िला नालगोण्डा में आलेरमण्डल के आलेर, कोल्लूर, कोलनुपाका, मंथापुरी, दिलावरपुर, अमनबोलु तथा षाराजीपेट के तूर्पुगूडेम् राजस्व गांव, जनगाँव मण्डल के पैंबर्ति राजस्व गाँव, राजापेट मण्डल के रघुनाथपुरम्, राजस्व गाँव यादगिरिगुट्टा मण्डल के मोटा कोंडूर राजस्व गाँव"।

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/03/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात् :--

केन्द्र का नाम	
कोविलपट्टि परिधि के	1. एट्टयापुरम तालुक के कडलैयूर 2. कोविलपट्टि तालुक के लिंगम्पट्टि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/04/2006-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2007 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात् :--

"तमिलनाडु के ज़िला विरुदुनगर में श्रीविल्लिपुत्तूर परिधि के तालुक श्रीविल्लपुत्तूर क़े तैलाकुलम के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव"।

आर. के. शुक्ला
निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक उपाधि (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम (प्रथम संशोधन), 2007

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एफ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है। ये हैं :--

संक्षिप्त नाम प्रयोग और प्रारंभ

1.1 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनियम, (प्रथम संशोधन), 2007 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना अथवा समावेश (विनियम) किसी केन्द्रीय कानून, किसी प्रांतीय कानून या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के कानून के तहत की गई हो और ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या उनसे सम्बद्ध सभी संस्थानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समकक्ष विश्वविद्यालय माने गए संस्थानों पर भी लागू होंगे।

1.3 ये विनियम अपने सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाऐंगे।

प्रथम संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक (मास्टर्स) प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानक) विनियम 2003 के धारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा 4.5 जोड़ी जाएगी।

4.5 प्रत्येक विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्क्रमों की कक्षाऐं अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक शुरु कर दी जाऐंगी और दूसरे और उसके बाद के वर्षों के छात्रों के लिए कक्षाऐं जुलाई के तीसरे सप्ताह तक शुरु हो जानी चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित हो जाऐंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परियोजना कार्य, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों और प्रशिक्षु काल की आवश्यकताओं को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए द्वितीय और उसके बाद के वर्षों के कक्षाओं को शुरु करने के कार्यक्रम की समय-सीमा में दो सप्ताह तक की छूट दी जा सकती है।

डॉ. तिलक राज केम
सचिव

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110068, दिनांक 30 मार्च 2007

सं. आई.जी/प्रशा(जी)/आर्ड.9/2007/733--इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1985 (1985 की सं. 50) के अनुभाग 26(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22.06.2006 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सत्रीय कार्यों से संबंधित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन के लिए परीक्षा मूल्यांकन से संबंधित अध्यादेश 9 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है। इन अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 10 मार्च, 2007 के पत्र संख्या एफ 5-77/2006/डी.एल. द्वारा प्राप्त हुआ है।

संशोधन के बाद, खंड 2 और 3 इस प्रकार पढ़े जाएँगे :

2. मूल्यांकन पद्धति

1. जहाँ लागू हो, उसके द्वारा जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर।

3. सत्रीय कार्य

(1) प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम, जिसमें उपर्युक्त खंड 2 में उल्लिखित एक या अधिक घटक शामिल हों, जिसमें उन घटकों में से प्रत्येक को दिया जाने वाला संबंधित महत्त्व (वेटेज) भी शामिल है, के मूल्यांकन की विधि का निर्धारण संबंधित विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिश पर शैक्षिक परिषद करेगा।

(2) कार्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी को लागू होने पर, सत्रीय कार्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए केवल एक सत्रीय कार्य जमा कराना होगा।

(3) सत्रीय कार्य अध्यापक/परामर्शदाता द्वारा अथवा कंप्यूटर (बहु-विकल्पी प्रकार) से जाँचे जाएँगे। सत्रीय कार्यों की प्रकृति एवं किस्म तथा इनको जमा कराने की सूची संबंधित विद्यार्थियों को दिए जाने वाले निर्देशों का उल्लेख संबंधित कार्यक्रम दर्शिका और/अथवा पाठ्यक्रम में किया जाएगा।

दलीप कुमार तेत्री
कुलसचिव

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai, the 23rd March 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which *prima facie* ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended February 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			NEW DELHI CIRCLE 10% Relief Bonds 1993		
DH-000432	40,000	Kishan Singh	–	Smt. Jagdip Sawhney & Surinder Jit Singh	PDO/DT/LN-1/2002 dated 5.2.2007

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			–Nil–		

J. M. BAVA
Asstt. Manager

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
Mumbai-400 021, the 2nd April 2007

Notice is hereby given that Register of Shareholders of the State Bank of India will be closed for transfer of shares for payment of dividend for 2006-2007, if any, from Friday, the 15th June 2007 to Monday, 25th June 2007 both days inclusive.

O. P. BHATT
Chairman

NATIONAL HOUSING BANK

(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR. 18/CMD/2007

New Delhi, the 26th March 2007

The National Housing Bank is satisfied that, in the public interest and for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :—

After paragraph 24 (1) (iii), of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, a new sub-paragraph shall be inserted as (iv), *viz.*

"(iv) Standard Assets in respect of non-housing loans	A general provision of 0.4% of the total outstanding amount of non-housing loans which are stantard assets, shall be made, as under : (a) 0.1 percent by March 31, 2007 (b) 0.2 percent by June 30, 2007 (c) 0.3 percent by September, 2007 (d) 0.4 percent by December, 2007"

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th March 2007

No. N-15/13/1/3/2005-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st January, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely.

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Komarabonda, Kodad, Ananthagiri, Lakmavaram, Gondriyala, T.B. Palem, Khanapuram, Gudibanda, Kapugallu and Dorakunta in Kodad Mandal in Nalgonda District."

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

No. N-15/13/1/3/2006-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st December, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely.

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Alair, Kollur, Kolanupaka, Manthapuri, Dilavarpur, Amanabolu and Toorpugudem of Sharajipet in alair Mandal; Pembarthy Revenue village of Jangaon Mandal: Raghunathapuram Revenue Village in Rajapet Mandal and Mota Kondur Revenue Village in Yadagirigutta Mandal of Nalgonda District in Andhra Pradesh State."

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

No. N-15/13/14/03/2006-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st December, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas comprising the revenue villages of
Peripheral Areas of Kovilpatti	1. Kadalaiyur of Ettayapuram Taluk 2. Lingampatti of Kovilpatti Taluk

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

No. N-15/13/14/04/2006-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director general has fixed the 1st February, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely.

"Areas comprising the Revenue Village of Thailakulam of Srivilliputhur peripherals, Sirivilliputhur Taluk in the District of Virudunagar of Tamilnadu."

R. K. SHUKLA
Director (P&D)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NEW DELHI

UGC (MINIMUM STANDARDS OF INSTRUCTION FOR THE GRANT OF THE FIRST DEGREE THROUGH FORMAL EDUCATION) REGULATIONS, (FIRST AMENDMENT), 2007

In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act, 1956 (No. 3 of 1956) the University Grants Commission makes the following amendment Regulations, namely :

1. Short title, application and commencement :

1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree through Formal Education) Regulations (First Amendment), 2007.

1.2. These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act, and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

1.3. These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

1st Amendment

The following clause 4.5 shall be added under Section 4 of the UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree through Formal Education) Regulations, 2003 :—

"4.5 Every university shall ensure that the classes for courses in subjects other than professional courses for the first year students shall commence by not later than the first week of August and for the students of second year onwards, by not later than the third week of July. The results for all the courses shall be declared by not later than last week of June.

A flexibility of upto two weeks may be allowed for professional courses in commencement of classes for students of 2nd year and later keeping in view the requirement of project work, summer schools and internship, etc. in professional courses."

Dr. T. R. KEM
Secy.

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSIRY
MAIDAN GARHI, NEW DELHI

New Delhi-110068, the 30th March 2007

No. IG/Admn(G)/Ord.9/2000/733.—In exercise of the powers vested in it under the provisions of Section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University at its 87th meeting held on 22.6.2006 had approved the amendments to Ordinance 9 on Conduct of Examinations and Evaluation of Student's Performance in view of the decision relating to assignments in various Programmes, offered by the University. This has the approval of the President of India in his capacity as Visitor of the University as conveyed under the Ministry of Human Resource Development letter No. F.5-77/2006-DL dated 10th March, 2007.

After amendments, the clauses 2 and 3 read as under :

2. Methods of Evaluation

(1) Continuously on the basis of the evaluation of the assignments submitted by him/her, wherever applicable.

3. Assignments

(1) The methods of evaluation for each course/programme involving the combination of one or more components mentioned in Clause 2 above, including the relative weightage to be assigned to each of those components, shall be prescribed by the Academic Council on the recommendation of the Board of the concerned School of Studies.

(2) A student pursuing a programme of study shall be required to submit only one assignment for each course in all programmes, wherever applicable.

(3) The assignment may be either marked by tutors/counsellors or by computer (multiple choice type). The instructions to candidates about the nature and type of assignment and the schedule for its submission shall be prescribed in the relevant programme guide and/or in the course itself.

DALIP KUMAR TETRI
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007